

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/196

| किस्म मुकदमा | नंबर मुकदमा | तारीख दायर | तारीख फैसला | पेशी दिनांक |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-128 प्राप्ति पर | 128/24 | 9/5/24 | 30/5/24 TNT | 23/5/24 |

अनवान

श्री निर्मला देवी व/० धरद्वारी मोक्षा श्री पुष्पा देवी व/० शिवकुमार

निवासी राणा डी रा गुजरा

श्रीर
निवासी वाली चारी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री पंकज कुमार यादव

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

बिमला देवी

वनाम

5051

देवी

क्रिया मुकदमा -

11-128

नम्बर

128 / 2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|--------------|--|--|
| 09/05 / 2024 | <p>प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हैं। पत्राचली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 23/05/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">3 उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p> | |
| 23/5/24 | <p>पत्राचली पेश हुई अधिवक्ता पार्टी उपस्थित। विपक्षीय नाद खूना अनुपस्थित। पत्राचली में छ-पक्षीय मोदेश पारित किए गए। पत्राचली वास्ते मोदेश आगामी दिनांक 30/5/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">3 उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p> | |
| 30/5/24 | <p>पत्राचली पेश हुई अधिवक्ता पार्टी उपस्थित। पत्राचली में मोदेश पारित किए गए एवं तहसीलदार बिजौलिया को पालना दे दिए लिखा गया। तहसीलदार, बिजौलिया को तहरीर जारी की जमें। पत्राचली फिलहाल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">3 उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p> | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

करण संख्या :-128/24

तारीख दायर 9/5/24

1. निर्मला देवी पत्नि गिरधारी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थीया

बनाम्

1. पुष्पादेवी पत्नि शम्भूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी कालीघाटी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. सुन्दर पत्नि पांच्या जाति भील उम्र वयस्क निवासी कालीघाटी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 30/5/24

प्रार्थना पत्र निर्मला ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज कुमार धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम कालीघाटी पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 15 पर अंकित आराजी संख्या 164/34 रकबा 0.7608हे0 , आराजी संख्या 33 रकबा 0.1942 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.9550 हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

.....निरन्तर पेज संख्या 2 पर



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 2

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढ़ी कमिश्नर फीस 500 /- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम कालीघाटी पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 15 पर अंकित आराजी संख्या 164/34 रकबा 0.7608हे0 , आराजी संख्या 33 रकबा 0.1942 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.9550 हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या -128/24
प्रेषिति :-तहसीलदार बिजौलियाँ

तारीख दायर 09/5/24

विषय :- प्रकरण संख्या 128/24 पत्थरगढी बाबत।

निर्मला देवी पत्नि गिरधारी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी
राणाजी का गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थीया

बनाम्

1. पुष्पादेवी पत्नि शम्भूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी
कालीघाटी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. सुन्दर पत्नि पांच्या जाति भील उम्र वयस्क निवासी कालीघाटी
तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख
है मौजा ग्राम कालीघाटी पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की
सरहद में खाता संख्या 15 पर अंकित आराजी संख्या 164/34 रकबा
0.7608 हे0 , आराजी संख्या 33 रकबा 0.1942 हे0 कुल किता 2 रकबा
0.9550 हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें।
मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो
जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद
प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख
निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस
500/- रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगडी करने
से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी
करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से
प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ-भीलवाड़ा